

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू


(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)


हुकमना नं. : 22/2025

सुभाष बनाम अजय वगैरे

वादीगण की ओर से एडवोकेट अमित शर्मा तथा प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट शंकरलाल मीणा व पवन कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.05.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बगड़ तहसील झुन्झुनू में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नंबर 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 19 रकबा 3.77 हैक्टेयर, खसरा नं. 20 रकबा 4.54 हैक्टेयर, खसरा नं. 21 रकबा 1.82 हैक्टेयर, खसरा नं. 22 रकबा 1.73 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 23 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नं. 24 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नं. 25 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 26 रकबा 1.75 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 27 रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल कितना 10 कुल रकबा 19.1300 हैक्टेयर कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।


पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू  
हुकमना (राज.)



वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	2
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	1000	खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुकमनामा		बाबत इजराय हुकमनामा	
		मुतफरिक	
		योग	2
योग	1003		

  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू  
हुकमना (राज.)